दिनांक–23.11.2016 को अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में आहूत अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही ।

1. उपस्थिति :– पंजी में सम्पोषित।

2. कार्यवाही :–

2.1 सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा पूर्व की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय के आलोक में किये गये अनुपालन के संबंध में माननीय सदस्यो को जानकारी दी गई जिसकी समिति के द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गयी।

2.2 माननीय विधायक प्रतिनिधि श्री छेदी गुप्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी दी गयी कि ऐसी सूचनाऐं प्राप्त हो रही है कि अन्त्योदय के ऐसे लाभुक जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा उनके परिवार में कोई भी सदस्य नही है उनका खाद्यान्न का छद्म रूप से उठाव किया जा रहा है। उनके द्वारा मांग रखी गयी कि इस तरह की प्रवृति रोक लगायी जाय तथा वास्तविक लाभुक को ही सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि ऐसे मृत लाभुको का नाम सूची से विलोपित करते हुए उनके स्थान पर नये योग्य लाभुक को सम्मिलित किया जाय। अनुमंडल पदाधिकारी ने माननीय सदस्य को बताया कि इस तरह के मामले उनके संज्ञान में नहीं आये है। यदि इस तरह के मामले संज्ञान में लाये जाते है तो इसकी जॉच कराकर निश्चित रूप से दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि अन्त्योदय योजना में अब नाम नहीं जुड़ेगा क्योकि सरकार के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है।

(अनुपालन :– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय।)

2.3 माननीय सदस्य श्री मोती साव ने बैठक में समिति को यह जानकारी दी गई लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के कुछ वार्डो में पी0एच0एच0 का कुछ नया राशन कार्ड वितरित किया गया है किन्तु उन्हें पी0एच0एच0 का लाभ नहीं मिल रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस सबंध में स्पष्ट किया गया कि आवंटन प्राप्त होने पर ऐसे लाभुको को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

2.4 प्रखंड चानन क्षेत्र के माननीय जिला परिषद सदस्य ने कुन्दर पंचायत के डीलर श्री रघुवीर मंडल के क्रियाक्लापो पर क्षोभ व्यक्त करते हुए यह आरोप लगाया कि वर्णित डीलर के द्वारा उपभोक्ताओं को बीच खाद्यान्न का वितरण नही किया जाता है। कूपन वितरण होने के बावजूद भी उनके द्वारा किरासन तेल एवं खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। इस डीलर के साथ मुखिया एवं समिति भी मिले हुए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चानन को मामले की जॉच कर दो सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया।

(अनुपालन :– प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चानन।)

2.5 अनुमंडल अनुश्रवण समिति के सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य माननीय श्री दुखित रविदास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि यद्यपि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में सतर्कता समिति गठित करते हुए प्रत्येक महीना में इसकी बैठक आहूत कराने का निदेश दिया गया है फिर भी संबंधित पंचायत के मुखिया द्वारा इसकी बैठक की सूचना नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में डीलरो के द्वारा उपभोक्ताओं के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण की गई है अथवा नहीं इसकी समीक्षा नहीं हो पाती है। उन्होने अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया कि इस संबंध में भवदीय स्तर से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया को निदेश दिये जाने की आवश्यकता है। अनुमंडल पदाधिकारी ने माननीय सदस्य को जानकारी दी इस संबंध में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को लगातार निदेश दिया जा रहा है।

माननीय सदस्य श्री दुखित रविदास ने हलसी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यकलाप पर अप्रसन्नता व्यक्त किया गया। साथ ही श्री दुखित रविदास द्वारा यह भी गंभीर आरोप लगाया कि संपूर्ण हलसी प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत सभी डीलरों द्वारा गेहूँ 3 रूपये प्रति किलो तथा चावल 4 रूपये प्रतिकिलो की दर से उपभोक्ताओं को दिया जाता है। जो सरकार के विभागीय आदेश का घोर उल्लंघन है। उन्होने यह भी कहा कि हद तो ये भी उन्हे श्री अभीतक किरासन/राशन कूपन नहीं दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध किया गया इस मामले की जॉच संयुक्त टीम गठित कर करायी जाय। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इसकी जॉच सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित संयुक्त टीम द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। जिसके सदस्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य श्री निवास शर्मा (अधिवक्ता), श्री मोती साव जिला अध्यक्ष भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी लखीसराय एवं श्री मनीष कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होंगे।

(अनुपालन :– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय)

2.6 माननीय जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, लखीसराय ने कहा कि सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर भी सतर्कता समिति गठित कर बैठक का प्रावधान किया गया है। किन्तु सच्चाई यह है कि प्रखंड स्तर पर सतर्कता समिति की बैठक नही होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नं0–07 के डीलर श्री प्रभाकर कुमार द्वारा उपभोक्ताओं को वजन से कम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। किन्तु निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जाती है। उन्होंने मामले की जॉच कराकर आरोपित विक्रेता के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में पणन पदाधिकारी नगर परिषद लखीसराय को आरोपो की जॉच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– पणन पदाधिकारी नगर परिषद, लखीसराय)

2.7 श्री जॉन मिल्टन, जिला अध्यक्ष, लोक जन शक्ति पार्टी द्वारा बताया गया कि वार्ड नं0–15 एवं अन्य कई वार्डों में 50% से 60% ही कूपन का वितरण किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद लखीसराय द्वारा कूपन वितरण प्रतिवेदन एवं शेष कूपन अनुमंडल कार्यालय में जमा किए है, जिसमें कई वार्डो में शतप्रतिशत कूपन वितरण कर दिया गया है। अगर उपभोक्ता कूपन नहीं ले पाये वैसे सभी उपभोक्ताओं की सूची बनाकर नगर परिषद, लखीसराय अनुमंडल कार्यालय से कूपन की मांग कर ले। मांग के अनुरूप कूपन वितरण हेतु नगर परिषद लखीसराय को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(अनुपालन :– कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, लखीसराय)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0

अनुमंडल पदाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–952/आ0, दिनांक–30.11.16

प्रतिलिपि :– संबंधित सभी माननीय सदस्यों, अनुमंडल, अनुश्रवण समिति, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय अनुमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से संबधित माननीय सदस्यों को कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद लखीसराय/नगर पंचायत बड़हिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, लखीसराय को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, लखीसराय की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

30.XI.16

अनुमंडल पदाधिकारी,
लखीसराय।